"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2010—आश्विन 30, शक 1932

गृह (जनगणना) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-2/गृह-दो/जन./2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का संख्या 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (तीन) के अनुसरण में निर्गमित समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जून, 2010 में मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य, जो राज्य में 1 मई, 2010 से 30 सितम्बर, 2010 तक किये जाने के निर्णय में निम्न सारणी अनुसार जिलों के लिए उनके सम्मुख दर्शायी गई तहसीलों (ग्रामीण क्षेत्रों) की तिथि में संशोधन करता है :—

सारणी

क्रमांक	जिलों का नाम	तहसील (ग्रामीण क्षेत्र) का नाम	मकानसूचीकरण एवं उनकी गणना के लिए वृद्धि की गई तिथि
1.	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	कोन्टा	31 अक्टूबर, 2010
2.	बीजापुर	भैरमगढ़	31 अक्टूबर, 2010
		ऊसूर	31 अक्टूबर, 2010
		बीजापुर	31 अक्टूबर, 2010

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्र, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

[illegible]
[illegible]

[illegible]